

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
11.9.2020	<p>बनील करीफेन उपस्थित बहल बनील उक्त पक्ष का मजबूत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया ने यह दावा पत्र नं 7394 रकम 1 बीघा 12 बिस्वा कस्बा करौली तहसील करौली से गुलाब के 1/5 हिस्से के से 50x50 फीट यामि 277.77 वर्ग जल भूमि जरीफे वपनाम से दिनांक 29.11.2011 को वादिया के पुत्र रशीद की है। योम खरीद से वादी का विवाह है। वादिया उक्त रकम का नामान्तरण करा कर अपने हक से खाले दावे घोषणा कराना चाहती है। वादिया का पुत्र मसोदा पुत्र रमज दिनांक 4.9.2014 को फौल से युक्त है। वादिया अपने पुत्र की एक मात्र वारिस है। वादिया के पत्रावली में उक्त वपान दर्ज कराया है। प्रतिवादी का दावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी वन्द की गई है। वादिया दावा 277.77 वर्ग जल भूमि की खाले दावे घोषणा नहीं है। कारण नूर उब्द की नामान्तरण पर ये है। वादिया न्यायालय हाजा से उक्त रकम की घोषणा खाले दावे कराने की इच्छा नहीं है। वादिया लडाक न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए खाले दावा वादिया न्यायालय से मादिया नहीं होने से पहले छोटा नहीं है।</p> <p>अतः दावा वादिया विरुद्ध प्रतिवादी का खारिज किया जाता है। पत्रावली के पत्र सुधार होकर नम्बर से कुछ होकर दाखिल इफ्तार हो बड़बुला पन्चा स्थित जारी है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी